न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—35/2021(जीसीएमएस नम्बर 2021/49)

1. श्रीमती सोमोती पत्नी टूण्डा,
2. अशोक पुत्र टूण्डा,
3. सुनीता पुत्री टूण्डा, समस्त जाति मीना, निवासी ऐचेडी तहसील बसवा, जिला दौसा।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र भौरया बनावटी पुत्र मेवा,
2. रूकमणी पुत्री भौरया बनावटी पुत्री मेवा,
3. प्रेम पुत्री भौरया बनावटी पुत्री मेवा, समस्त जाति मीना, निवासी ऐचेडी तहसील बसवा जिला दौसा।
4. सरपंच ग्राम पंचायत ऐचेडी तहसील बसवा जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री सतीश कुमार पारीक एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 16.01.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि वाके ग्राम ऐचेडी तहसील बसवा जिला दौसा की राजस्व सीमा में स्थित चाह खसरा नम्बर 1640 रकबा 0.06 हैक्टयर में अपीलान्ट संख्या 1 के ससूर व अपीलान्ट संख्या 2 व 3 के दादा मेवा पुत्र हरबक्स का 1/4 हिस्सा है तथा खसरा नम्बर 130, 143, 144, 1509 लगायत 1513 कुल किता 8 कुल रकबा 1.34 हैक्टयर का खातेदार भी मेवा पुत्र हरबक्स जाति मीना निवासी ऐचेडी था। उक्त भूमि का मेवा पुत्र हरबक्स की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 306 ग्राम ऐचेडी तहसील बसवा की विधिवत जॉच करके ग्राम पंचायत ऐचेडी द्वारा दिनांक 20.05.2008 को अपीलान्ट संख्या 1 के पति व अपीलान्ट संख्या 2 व 3 के पिता टूण्डा पुत्र मेवा के हक में तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसकी माता जनको ने एक मियाद बाहर अपील व अपील पेश करने की इजाजत लिये बिना ही उप जिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष पेश की जिस अपील का निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 28.05.2015 को किया गया जिसके विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपीलान्ट्स के पति व पिता टूण्डा पुत्र मेवा द्वारा अपील पेश की गई जिसको न्यायालय श्रीमान् द्वारा निर्णय दिनांक 24.01.2017 पारित कर अपील खारिज की गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 306 की पुनः सुनवाई की गई और तहसीलदार ने

P.T.O.

भी विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 30.03.2021 को नामान्तरकरण संख्या 306 को टूण्डा हिस्सा 1/4, लक्ष्मण हिस्सा 1/4, रूकमणी हिस्सा 1/4, प्रेम हिस्सा 1/4 तस्दीक करने के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निर्णय विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया, नियमों व न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य, सबूत व बयानों से लक्ष्मण, रूकमणी व प्रेम आदि मेवा पुत्र हरबक्स के वारिस कतई सिद्ध नही थे तथा अपीलान्ट मेवा पुत्र हरबक्स के वारिस सिद्ध थे परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य, सबूत व बयनादि की अनदेखी करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2021 पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि जनको, भौरया की पत्नी थी व लक्ष्मण, भौरया का पुत्र था तथा रूकमणी व प्रेम, भौरया की पुत्रीयॉ थी। इस बात का प्रमाण यह है कि जनको पत्नी भौरया ने दिनांक 18.11.2004 को मेवा पुत्र हरबक्स से भूमि खसरा नम्बर 738 एवं चाह खसरा नमबर 739 में से 9/63 हिस्सा जरिये रजिस्ट्री खरीदकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त रजिस्ट्री इस बात का प्रमाण है कि जनको, मेवा की पत्नि नही थी बल्कि भौरया की पत्नी थी और रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 जनको के पुत्र–पुत्रीयॉ है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जनको एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 को मेवा का वारिस मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल कारित की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि कानून में स्वीकारोक्ति सबसे अच्छे प्रमाण के सिद्धान्त को माना जाता है और जनको स्वयं ने न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई के समक्ष वाद उनवानी टूण्डा बनाम मेवा मुकदमा नम्बर 16/2005 में दिनांक 29.08.2005 को किये गये सशपथ बयानों में यह स्वीकार किया है कि ''भौरया मेरा आदमी था, वह काफी दिन बाद जब मेरे 3 बच्चे हो गये थे उसके बाद मरा था। मेरे भौरया से तीन बच्चे हुऐ थे जो अभी तक जिन्दा है, मेरे तीनों बच्चे का नाम लक्ष्मण, रूकमणी व प्रेम है, ये तीनों बच्चो मेवा के नही है, भौरया के है''। उन्होने आगे कथन किया है कि जनको ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा के समक्ष उक्त बयानों की नकल पेश की थी तथा वास्तविक तथ्य भी यही है कि जनको भौरया की पत्नि है तथा लक्ष्मण, रूकमणी, प्रेम के पिता का नाम भौरया है। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से सिद्ध थे कि जनको भौरया की पत्नी थी मेवा की पत्नि नही थी तथा ग्राम पंचायत ऐचेडी द्वारा भी नामान्तरकरण संख्या 306 विधिवत रूप से जॉच करके अपीलान्ट के सूसर व दादा मेवा पुत्र हरबक्स के नाम ही तस्दीक किया था परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों व साक्ष्यो, सबूतों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2021 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थीगण मंजूर फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2021 को निरस्त फरमाने की कृपा करें व अपीलान्ट के हक में मेवा की विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश पारित फरमाने की कृपा करें।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत ऐचेडी का नामान्तरकरण संख्या 306 है जो मेवा पुत्र हरबक्स की विरासत का नामान्तरकरण भरा था, वह मेवा के वारिसान का सही भरा गया था जिसमें नामान्तरकरण भरते समय वारिसान टूण्डा, लक्ष्मण व रूकमणी व प्रेम पुत्रीयॉ मेवा, जो सही भरा था और हिस्सा भी 1/4–1/4 सही दर्शाया गया था किन्तु ग्राम पंचायत ऐचेडी के कौरम में दिनांक 20.05.2008 को हल्का पटवारी ने ग्राम पंचायत कौरम में नामान्तरकरण तस्दीक बाबत ग्राम पंचायत कौरम में पेश किया जिसमें ग्राम पंचायत कौरम में लक्ष्मण व प्रेम एवं रूकमणी के नाम नही भरे जबकि कौरम ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर नियमों का उल्लंघन करते हुय टूण्डा के नाम जो नामान्तरकरण भरा है, वह गलत भरा व कौरम ने नामान्तरकरण में लक्ष्मण, रूकमणी एवं प्रेम को मेवा की अवैध संतान माना है जो कि रेस्पोडेन्ट के विधिक अधिकारों का हनन है व कौरम द्वारा इस प्रकार का पक्षपात करते हुए भरा गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि दावा निरस्तीकरण पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2004 जिसके मुकदमा नम्बर बी टी 16/05 उनवानी प्रकरण टूण्डा बनाम मेवा है जिसमें स्वयं प्रतिवादिगण टूण्डा ने दावा में पेश सजरा एवं दावे के साथ शपथ पत्र एवं बयानात में स्वयं ने स्वीकार किया है कि मेवा के दो पुत्र है लक्ष्मण व टूण्डा है एवं स्वयं टूण्डा जो प्रतिवादी है ने कोर्ट में बयान में कहा है कि भौरया विवाह के कुछ समय पश्चात् फौत हो गया एवं लक्ष्मण और टूण्डाराम, मेवा के पुत्र है और दावे में अन्य गवाहान ने भी लक्ष्मण एवं टूण्डा को सगा भाई होना बताया है। उन्होने आगे कथन किया है कि टूण्डा ने जो वाद अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश में दायर किया उस वाद में भी टूण्डा ने पुत्र मेवा के नाम से किया है और जो दावे के सपोर्ट में शपथ पत्र दिया है उसमें भी टूण्डा पुत्र मेवा अंकित किया है इससे भी साफ जाहिर होता है कि मेवा के दो पुत्र लक्ष्मण एवं टूण्डा है और टूण्डा व लक्ष्मण के दादा हरबक्स से आई सम्पत्ति में हिस्सा 1/4–1/4 के हिस्सेदार लक्ष्मण, टूण्डा, प्रेम, रूकमणी हिस्सेदार है क्योंकि दादा की सम्पत्ति में कानूनन अधिकार पौत्र–पौत्रीयों के जन्म लेते ही स्वतः ही अर्जित हो जाते है और यह सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है जो रेस्पोडेन्ट के दादा हरबक्स से आई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर उनके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के समक्ष अपील प्रस्तुंत किये जाने पर रेस्पोडेन्ट की अपील स्वीकार होकर वारिसान की जॉच एवं नामान्तरकरण की पुनः कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किये जाने पर तहसीलदार बसवा द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त एवं पक्षकारान का बयानादि लेने के पश्चात् गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि मेवा पुत्र हरबक्स की मृत्यु होने

पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.04.2008 को नामान्तरकरण संख्या 306 अपीलार्थीगण के पूर्वज टूण्डा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा लक्ष्मण को मेवा की अवैध संतान बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 306 केवल टूण्डा के नाम ही स्वीकार किया गया जबकि प्रकरण में इस तरह की फाईडिंग दिया जाना सरपंच के क्षेत्राधिकार में नही था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत ऐचेड़ी द्वारा जारी सजरा दिनांक 04.02.2013, प्रेम पुत्री मेवा, लक्ष्मण पुत्र मेवा, रूकमणी पुत्री मेवा, एवं पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.02.2016 को ग्राम ऐचेडी में उपस्थित मौतविरान लोगों की उपस्थिति में तैयार मौका पर्चा एवं अपर जिला व सैशन न्यायालय (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई में प्रकरण टूण्डा बनाम मेवा में गवाहान बद्री पुत्र शंकरलाल के बयानादि से स्पष्ट जाहिर होता है कि भौरया की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी जनको ने अपने देवर मेवाराम से दूसरा विवाह किये जाने पर मेवाराम की दो पत्नियॉ जनको एवं जानकी हुई। मेवाराम की प्रथम पत्नि जानकी से एक संतान टूण्डा एवं मेवाराम की दूसरी पत्नि जनको से तीन संतान रेस्पोडेन्ट लक्ष्मण, रूकमणी व प्रेम पैदाईश हुए है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2021 द्वारा मेवाराम के चारों वारिसान के नाम 1/4 – 1/4 हिस्से अनुसार नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसे में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2021 को यथावत रखा जाता है।

16/1/24

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।